

**भदोही औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
बीडा- भदोही**

ई-आक्शन नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद भदोही में भदोही मिर्जापुर रोड एवं (लुम्बिनी दुद्धी राष्ट्रीय मार्ग) भदोही-ज्ञानपुर बाईपास रोड के क्रासिंग (रजपुरा चौराहा) के सन्निकट भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा द्वारा निर्मित बीडा मार्ट में दुकानों का आवंटन ई-आक्शन के माध्यम से किया जाना है। ई-आक्शन से सम्बन्धित विवरण दिनांक 08.09.2025 को ई-आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर अपलोड किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म दुकानों का विवरण एवं शर्तों का अवलोकन eauction.gov.in/eAuction/app पर कर ई-नीलामी प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही कर भाग ले सकते हैं। आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	तल	संख्या	साईज (मी०)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	विक्रय	ई०एम०डी० / पंजीकरण धनराशि
1.	लोअर ग्राउण्ड फ्लोर (दुकान)	07	6.10 x 3.60	21.96 वर्ग मी०	रु० 1685000	रु० 1.70 लाख
2.	अपर ग्राउण्ड फ्लोर (दुकान)	01	6.10 x 3.60	21.96 वर्ग मी०	रु० 2002082	रु० 2.00 लाख
3.	प्रथम तल (दुकान)	11 10	6.10 x 3.60 7.86 x 3.60	21.96 वर्ग मी० 28.30 वर्ग मी०	रु० 1337870 रु० 1723878	रु० 1.35 लाख रु० 1.75 लाख
4.	द्वितीय तल(हाल)	01 01 01 01	— — — —	142.37 वर्गमी० 218.50 वर्गमी० 276.84 वर्गमी० 297.9 वर्गमी०	रु० 5403511 रु० 8292949 रु० 10507186 रु० 11309913	रु० 2.70 लाख रु० 4.15 लाख रु० 5.25 लाख रु० 5.65 लाख

- (1) ई-आक्शन दिनांक 08.09.2025 से प्रकाशित होगा।
 - (2) आवेदनकर्ता द्वारा ई-आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर दिनांक 08.09.2025 से दिनांक 24.09.2025 तक बिड डाउनलोड एवं सबमिट करेगा।
 - (3) ई-आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर दिनांक 25.09.2025 एवं दिनांक 26.09.2025 को आवेदनकर्ता की बिड का परीक्षण किया जायेगा एवं उक्त तिथि में ही वैध बिडर की बिड को ई-आक्शन पोर्टल पर ही सूचित किया जायेगा।
 - (4) जिन आवेदनकर्ताओं की बिड वैध पायी जायेगी। उन्हें दिनांक 27.09.2025 को समय 11:00 से 15:00 बजे तक ई-आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर भाग लेने की अनुमति होगी।
 - (5) लाईव आक्शन दिनांक 27.09.2025 समय 11:00 से 15:00 बजे तक ही ई-आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर प्रदर्शित होगी।
- नियम एवं शर्त :-

1. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म जिन्हें ई-आक्शन में प्रतिभाग करना है को क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी०एस०सी०) के साथ ई-आक्शन पोर्टल

- eauction.gov.in/eAuction/app पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को पहचान पत्र-आवास प्रमाण पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेन्स की स्कैन कापी) पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, ई-आक्शन फार्म की स्कैन कॉपी, जमा पंजीकरण (ई0एम0) धनराशि की रसीद, / बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 विवरण (खाता सं0 585502010011128 आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0 UBIN0558559 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बीडा शाखा भदोही) पंजीकरण अवधि में अपलोड की जानी है। डाक अथवा कोरियर की वजह से देर से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी।
 3. कार्नर की दुकान की मूल कीमत में 15 प्रतिशत अतिरिक्त कीमत देय होगी।
 4. सभी दुकानों की उपरोक्त कीमत अनुमानित है। दुकानों की कीमत में कमी/वृद्धि सम्भावित है। निर्माण के उपरान्त अन्तिम रूप से कास्टिंग के आधार पर वास्तविक कीमत निर्धारित होगी।
 5. सभी दुकानों का आवंटन ई-आक्शन के माध्यम से ई-आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर किया जायेगा। आवंटन से सम्बन्धित नियम व शर्तें ई-आक्शन eauction.gov.in/eAuction/app पर प्राप्त किया जा सकता है।
 6. आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि को पंजीकरण अवधि के अन्दर ही बैंक ड्राफ्ट/नगद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से, जो बीडा भदोही के पक्ष में देय होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा। अगर किसी आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण धनराशि को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा किया जाता है तो बीडा, भदोही की खाता सं0 585502010011128 .आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0 UBIN0558559 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बीडा शाखा भदोही में जमा करते हुए यू0टी0आर0 नं0 की रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 7. आवेदनकर्ता को प्रत्येक दुकानों के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक पंजीकरण के साथ धनराशि रू0 1000.00 डाक्यूमेन्टेशन शुल्क (ई-आक्शन शुल्क) तथा रू0 1000.00 फार्म शुल्क कुल रू0 2000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से, जो बीडा भदोही के पक्ष में देय होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त धनराशि आवेदनकर्ता को वापस नहीं की जायेगी।
 8. एक व्यक्ति/फर्म के नाम से अधिकतम 6 दुकाने आवंटित की जा सकती है।
 9. आवेदन कर्ता/फर्म आवेदन हेतु ई-आक्शन फार्म पर जिस दुकान संख्या को अंकित करेगा। मात्र उसी दुकान के लिये ही ई-आक्शन हेतु अधिकृत रहेगा। ई-आक्शन फार्म प्रारूप-2 पर उपलब्ध है।
 10. ई-आक्शन प्रति सम्पत्ति/दुकान/हाल के न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर की जायेगी दुकान के लिए प्रत्येक बिड का न्यूनतम अन्तर रू0 5000.00 होगा। हाल के लिए प्रत्येक बिड का न्यूनतम अन्तर रू0 10000.00 होगा। लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर प्रथम तल एवं द्वितीय तल के प्रत्येक दुकान/ हाल के लिये कम से कम 2 व्यक्ति/फर्म की वैध बिड प्राप्त होने पर ही संज्ञान लिया जायेगा एवं अधिकतम धनराशि वाले बिडर को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
 11. जिस आवेदनकर्ता की धनराशि अधिक होगी (दुकान/हाल मूल्य) का 25 प्रतिशत धनराशि बिड की स्वीकृति होने पर अधिकतम एक सप्ताह में जमा करना होगा जिसमें पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर 04 त्रैमासिक किस्तों में अनुमन्य ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवेदक चाहे तो एक साथ ही अवशेष धनराशि जमा कर सकता है।
 12. निर्धारित किस्तों की देय तिथि पर किस्त जमा न होने पर 18.00 प्रतिशत की दर से

विलम्ब ब्याज देय होगा।

13. निबन्धन विलेख का समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
14. आवंटी को दुकान के मूल्य के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रीपेड लीज रेंट एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान आवंटन के उपरान्त करना होगा।
15. आवंटन के पश्चात ई-आक्शन में सफल व्यक्ति द्वारा दुकान न लेने अथवा धनराशि जमा न करने पर पंजीकरण शुल्क सहित जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. आवेदनकर्ता को ई-आक्शन हेतु अपलोड की गयी सभी विवरण की हार्डकापी प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 24.09.2025 तक उपलब्ध करानी होगी।
17. निर्मित आवंटित दुकान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। किसी भी तल की दुकान में पानी अथवा अन्य सुविधाएं देने के लिए प्राधिकरण बाध्य नहीं है। तकनीकी अनुभाग की आख्या पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
18. आवंटित दुकान/हाल का किसी भी दशा में उप विभाजन नहीं किया जायेगा।
19. प्रथम तल एवं द्वितीय तल के दुकान/हाल का कब्जा आवंटन पत्र निर्गत होने के 03 माह बाद तकनीकी अनुभाग की आख्या पर ही दिया जाना संभव होगा।
21. आवंटी को पंजीकरण एवं प्रवेशन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. नीलामी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही में निहित है।
23. नियमों व शर्तों को बदलने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा। विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।